न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 03/2021

अपीलान्ट

1. मरियम पुत्री हुसैन खा पत्नी सुबान खां के कायम मुकाम चांदू खां पुत्र सुबान खां जाति तेली मुसलमान निवासी गुडाकंला तहसील सोजत

वनाम

रेस्पोडेन्टान

1. गफुर खां पुत्र हुसैन खां जाति तेली मुसलमान निवासी गुड़ाकलां के कायम मुकाम
   1/1 छैलू खां पुत्र गफुर खां
   1/2 नैनू खां पुत्र गफुर खां
   1/3 नूर खां पुत्र गफुर खां
   1/4 रफीक मोहम्मद पुत्र गफुर खां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण वड़ागुड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
2. फकीर मोहम्मद पुत्र हुसैन खां
   2/1 ढगलाई बानो पत्नी फकीर मोहम्मद
   2/2 साबीर खां पुत्र फकीर मोहम्मद
   2/3 आरिफ खां पुत्र फकीर मोहम्मद जातियान तेली मुसलमान निवासीगण बडागुडा तहसील सोजत
   2/4 रजिया बानो पुत्री फकीर मोहम्मद पत्नी सलीम खां जाति तेली मुसलमान निवासी नरसिंहपुरा कॉलोनी, सोजत सिटी
3. शेरूखां पुत्र बाबुखां
4. जरीना पत्नी बाबुखां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण गुड़ाकलां तहसील सोजत।
5. ईदी पुत्री हुसैन खां पत्नी कालु के कायम मुकाम—
   5/1 सदीक खां पुत्र कालू खां
   5/2 शेरू खां पुत्र कालू खां
   5/3 आसिन मोहम्मद पुत्र कालू खां जातिगण तेली मुसलमान निवासीगण कण्टालिया तह0 मारवाड़
   5/4 बरखत पुत्री कालू खां पत्नी सदीक जाति तेली मुसलमान निवासी रायरा तहसील सोजत।
   5/5 मुन्ना बानो पुत्री कालू खां पत्नी ईस्माईल खां निवासी बींजागुड़ा तहसील सोजत।
6. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कलां, पंचायत समिति सोजत।

<u>म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1)(डी.) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, बसिलसिले स्वीकृत नामान्तरण संख्या 851, स्वीकृत दिनांक 08/04/2013 सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कलां के विरूद्ध</u>

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :— 11/12/2023

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा गुडाकलां तहसील सोजत में अपीलाण्ट के पिता की हक हकूक खातेदारी, कब्जाकाश्त की कृषि भूमि के खसरा नंबर 133 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म बा.अ., खसरा नंबर 144 रकबा 0.2000 हैक्टर किस्म बा.अ., खसरा नंबर 159 रकबा 0.4600 हैक्टर किस्म जा.अ., खसरा नंबर 163 रकबा 0

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

2600 हैक्टर किस्म जा.अ., खसरा नंबर 164 रकबा 0.2500 हैक्टर किस्म चा.प्र., खसरा नंबर 170 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म चा.प्र., खसरा नंबर 172 रकबा 0.3800 हैक्टर किस्म चा.प्र., खसरा नंबर 178 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म चा.प्र., खसरा नंबर 186 रकबा 0.5000 हैक्टर किस्म चा. अ., खसरा नंबर 330 रकबा 0.4000 हैक्टर किस्म चा.अ. की स्थित हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 133 रकबा 0.4000 हैक्टर मोहम्मद शरीफ गोरी तथा खसरा नम्बर 330 रकबा 0.4000 हैक्टर कृषि भूमि हरीराम माली को जरिये रजिस्टर्ड बेचान रजिस्ट्री के बेचान की गई, जिस कृषि भूमि पर बेचान के अनुसार मोहम्मद शरीफ गोरी व हरीराम का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। खसरा नम्बर 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में बक्सीस कर बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 को तहरीर व तकमील कर अपने हस्ताक्षर कर उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया, जो बक्सीसनामा उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में दिनांक 30.11.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 273, पृष्ठ संख्या 65, क्रम संख्या 2005001658 पर पंजीबद्ध किया गया। तब से लेकर उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 144 रकबा 0.2000 हैक्टर पर एकमात्र कब्जा अपीलाण्ट का चला आ रहा है। जिस कृषि भूमि की एकमात्र मालिक व खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट ही है। अपीलाण्ट के पिता हुसैन खां पुत्र खाजूवां का स्वर्गवास दिनांक 23.03.2007 को हो चुका है। जिनके स्वर्गवास के पश्चात् अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 विधिक उतराधिकारी है, जिनके अलावा हुसैन खां पुत्र खाजू खां के अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नही है। अपीलाण्ट के पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलाण्ट से निवेदन किया कि, ''खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि पिता हुसैन खां द्वारा आपके पक्ष में बक्सीस किया जा चुका है, इसलिये शेष कृषि भूमि का हकतर्कनामा आप मेरे पक्ष में हकत्याग कर हकतर्कनामा निष्पादित करावें।'' जिस पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्टगण पर विश्वास कर खसरा नम्बर 144 के अलावा शेष कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में हकत्याग कर हकतर्कनामा दिनांक 29.12.2010 को तहरीर व तकमील कर उप--पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया, जो हकतर्कनामा उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में दिनांक 29.12.2010 को पुस्तक संख्या 366, पृष्ठ संख्या 141, क्रम संख्या 2010004228 पर पंजीबद्ध किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा अपीलाण्ट की कृषि भूमि को हड़प करने के आशय से खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि में अपीलाण्ट के पिता हुसैन खां का फोतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2013 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हुसैन खां के स्थान पर उनके वारीसान का नाम नामान्तरण संख्या 851 दर्ज किया जाकर ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा दिनांक 08.04.2013 को स्वीकृत कर हुसैन खां के स्थान पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज किया गया, जिस नामान्तरण के विरूद्ध उक्त अपील उजरात इस प्रकार प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा तथ्यो को छुपाते हुये विधि विरूद्ध तरीके से प्रशासन गांवो के संग हुसैन खां के स्थान पर विरासती नामान्तरण संख्या 851 दर्ज कर दिनांक 08.04.2013 को ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत करवाया गया, जो नामान्तरण संख्या 851 अपीलाण्ट के हक व अधिकारो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। अपीलाण्ट के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि अपीलाण्ट को बक्सीस कर बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 को तहरीर व तकमील कर पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में प्रस्तुत किया गया, जो बक्सीसनामा दिनांक 30.11.2005 को उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीयनसुदा है, जो बक्सीसनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिस बक्सीसनामे की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को पूर्ण रूप से जानकारी थी, उसके बावजूद जानबुझकर बक्सीसनामे को छुपाते हुये अपीलाण्ट की बक्सीससुदा कृषि भूमि को हड़प करने के आशय से जानबुझकर गलत तरीके से झूठा शपथपत्र ग्राम पंचायत व प्रशासन गांवो के संग अभियान में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने खसरा संख्या 144 में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जबकि अपीलाण्ट के पिता द्वारा खसरा संख्या 144 का बक्सीस किया जा चुका था नामान्तरण एक फिक्सल प्रोसेडिंग है, जिसके आधार पर किसी को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

भी खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 851 के आधार पर रेस्पोडेन्टगण को किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है। इसलिये नामान्तरण संख्या 851 स्वीकृत दिनांक 08.04.2013 निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपील अपील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 851 ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत दिनांक 08.04.2013 को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 के आधार पर उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान पारित फरमाने की ईश्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश किया कि अपीलाण्ट ने न्यायालय में एक अपील ठोस एवम् मजबूत न्याय संगत आधारों पर प्रस्तुत की है। नामान्तरण संख्या 851 की अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, तथा अपीलाण्ट एक वृद्ध व अनपढ़ महिला है, जिसे राजस्व रेकर्ड के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट की कब्जासुदा, बक्सीससुदा कृषि भूमि पर दिनांक 05.01.2021 को आये तथा अपीलाण्ट को उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर बेचान हस्तान्तरण करने की एलानियां धमकी देने लगे, जिस पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेन्टगण को कहा कि, उक्त वर्णित कृषि भूमि का बक्सीसनामा मेरे पक्ष में किया हुआ है, जिसकी एकमात्र मालिक मैं हूं तब रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलाण्ट को एलानियां कहा कि, उक्त वर्णित कृषि भूमि में हमने हमारा नाम भी दर्ज करवा दिया है, इसलिये उक्त कृषि भूमि के हम अपने पुत्र ही मालिक है तब अपीलाण्ट ने अपने पुत्र से राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेतु कहा तब राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 06.01.2021 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.01.2021 को प्राप्त हुई, जिससे जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से खसरा नम्बर 144 में भी अपने नाम विरासती नामान्तरण दर्ज करवा कर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवा दिया, तब अपीलाण्ट ने दिनांक 12.01.2021 को नामान्तरण संख्या 851 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 12.01.2021 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाण्ट की कृषि भूमि को हड़प करने के आशय से बक्सीसनामे के तथ्यो को छुपाते हुये खसरा नम्बर 144 का विरासती नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा दिया, इससे पूर्व अपीलाण्ट को इसकी जानकारी कतई नही थी। जिस कारण अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इसलिये जैर अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत होने से अपील प्रस्तुत करने तक लगे समय को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर म्याद शुमार की जानी आवश्यक व न्याय संगत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार करने के आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 03 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे ने वकालतनामा पेश किया, सा.मि. है तथा प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.04.2013 को पटवारी हल्का द्वारा पारित जॉच पश्चात् ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 851 को चेलेन्ज किया गया है। उक्त म्यूटेशन को स्वीकृत हुये 07 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अपीलाण्ट स्वयं अपने को इसी परिवार की सदस्य बता रही है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टगण संख्या 1, 2, 5 सगे भाई–बहिन है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 अपीलाण्ट के भाई बाबूखां की पत्नी व पुत्र है, जिससे यह साबित है कि उक्त म्यूटेशन की जानकारी म्यूटेशन स्वीकृत होने के रोज से अपीलाण्ट व उसके पुत्र को रही है। अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र की सिखावट में आकर पारिवारिक रंजीश के कारण 07 वर्ष पश्चात् उक्त म्यूटेशन को अपास्त हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीज के हैं। अपीलाण्ट उक्त म्यूटेशन अपील के जरिये अपने

उपखण्ड अधिकारी

हक में निष्पादित विधि विरूद्ध फर्जी बक्सीसनामे के आधार पर हक अधिकार तय करवाना चाहती है, जिसमें किसी प्रकार के हक अधिकार कानूनन तय नही किये जा सकते है। अपीलाण्ट का जैर अपील वादस्थ भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा आता है तो उसके लिये धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर वाद की प्रक्रिया अपना कर ही किसी भी पक्षकार के हक अधिकार तय किये जा सकते हैं। म्यूटेशन अपील के जरिये अपीलाण्ट अपने पक्ष में विधि विरुद्ध फर्जी बक्सीसनामे के आधार पर हक अधिकार तय करवाना चाहती है, जो उक्त अपील के जरिये कतई तय नही किये जा सकते है। वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट मरमी व रेस्पोडेण्टगण के पिता/नाना/ससूर स्व. हुसैन खां के इंतकाल पश्चात् से सभी का वादस्थ भूमि पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है, जिसमें कभी भी किसी का कोई दखल नही रहा है। कब्जे के अभाव में उक्त म्यूटेशन अपील चलने योग्य नही है, क्योंकि अपीलाण्ट केवल मात्र म्यूटेशन अपील के जरिये अपने पक्ष में निष्पादित विधि विरूद्ध बक्सीसनामा दिनांक 30.11.2005 के आधार पर अपने हक, अधिकार तय करवा कर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहती है, जो कानूनन अपील के जरिये नहीं किया जा सकता है, इसके लिये नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है, जिससे प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया काबिले खारीज है। पदवार जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 का जवाब इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा बिल्कुल गलत, निराधार तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलाण्ट को किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नही होनी है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि अपीलाण्ट का यह लिखना सर्वथा गलत है कि अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण संख्या 851 की किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, बल्कि अपीलाण्ट को उसका हिस्सा वक्त निकाह व उसके बाद समय समय पर सामाजिक कार्यक्रमो के तहत दे दिया गया था तथा ग्राम गुड़ाकलां में अपीलाण्ट को पुश्तैनी मकान का सम्पूर्ण हिस्सा दिया गया, जिसमें ही अपीलाण्ट व उसका पुत्र चांदू खां निवास करता है, इतना ही नही अपीलाण्ट बचपन से तीन वर्ष की उम्र में अंधी हो जाने के पश्चात् समस्त देख–रेख, भरण–पोषण, चिकित्सा, इत्यादि पिता हुसैन खां व रेस्पोडेण्टगण भाईयो द्वारा ही की जाती रही तथा निकाह पश्चात् अपीलाण्ट के पति का कुछ समय में ही इन्तकाल हो जाने के पश्चात् अपीलाण्ट के पुत्र का पालन पोषण व पुत्र के निकाह का तमाम खर्चा भी रेस्पोडेण्टगण द्वारा किया गया। वक्त म्यूटेशन स्वीकृत अपीलाण्ट व अपीलाण्ट का पुत्र चांदू खां स्वयं उपस्थित था, जिन तमाम की सहमति एवम् स्वीकृति पश्चात् ही नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जिससे उक्त म्यूटेशन के स्वीकृत होने की अपीलाण्ट व उसके पुत्र को वर्ष 2013 से जानकारी रही है। इसलिये अपीलाण्ट का यह लिखना गलत है कि अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरण की पूर्व में जानकारी नहीं रही है। अपीलाण्ट द्वारा पद में दिनांक 05.01.2021 को रेस्पोडेण्टगण द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल कर बेचान, हस्तान्तरण की धमकीयां देने के कथन गलत व मिथ्या वर्णित किये है, जबकि रेस्पोडेण्टगण उपरोक्त भूमि के रेकर्डेड़ खातेदार है, जिनको अपनी कृषि भूमि में प्राप्त हक हिस्से का बेचान, हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र से राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 06.01.2021 को आवेदन प्रस्तुत करने व दिनांक 08.01.2021 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त नामान्तरण की जानकारी होने के कथन गलत व मिथ्या वर्णित किये है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.01.2021 व 08.01.2021, 12.01.2021 को सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड व नामान्तरण संख्या 851 की जानकारी होने के कथन कपोलकल्पित अंकित किये है, जबकि म्यूटेशन स्वीकृत हुये 07 वर्ष से अधिक समय पश्चात् तक भी खातेदार द्वारा अपनी भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने की जानकारी नहीं की हो, यह सम्भव व मानने योग्य तथ्य नही है। अपीलाण्ट के पुत्र द्वारा केवल मात्र पारिवारिक रंजीश की वजह से अपीलाण्ट मरमी से रेस्पोडेण्टगण को तंग व परेशान करने की गरज से उक्त अपील नामान्तरण स्वीकृत होने से 07 वर्ष से अधिक समय पश्चात् म्याद बाहर प्रस्तुत की है, विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील म्यूटेशन स्वीकृत होने के 30 दिन में प्रस्तुत की जानी कानूनन आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा 07 वर्ष से अधिक समय पश्चात् अपील प्रस्तुत करने में देरी की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली

है, तथा देरी का कारण भी पर्याप्त व क्षम्य किये जाने योग्य नहीं है, जो अपील म्याद अधिनियम से वर्जित होने से प्रथम दृष्ट्या काबिल खारीज के है।

बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने वहस के दौरान व्यक्त किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि का अपीलाण्ट के पिता के द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि अपीलाण्ट को बक्सीस कर बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 को तहरीर व तकमील कर पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में प्रस्तुत किया गया, जो बक्सीसनामा दिनांक 30.11.2005 को उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में पंजीयनसुदा है, जो बक्सीसनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिस बक्सीसनामे की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को पूर्ण रूप से जानकारी थी, उसके बावजूद जानबुझकर बक्सीसनामे को छुपाते हुये अपीलाण्ट की बक्सीससुदा कृषि भूमि को हड़प करने के आशय से जानबुझकर गलत तरीके से झूठा शपथपत्र ग्राम पंचायत व प्रशासन गांवो के संग अभियान में प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने खसरा संख्या 144 में अपना नाम दर्ज करवा दिया। जिससे नामान्तरकरण संख्या नामान्तरण संख्या 851 ग्राम पंचायत गुड़ाकलां द्वारा स्वीकृत दिनांक 08.04.2013 को निरस्त किया जाकर रजिस्टर्ड बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 के आधार पर उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि का नामान्तरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने न्यायाचित है। जबाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 ने व्यक्त किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 08.04.2013 को पटवारी हल्का द्वारा पारित जॉच पश्चात् ग्राम पंचायत गुडाकलां द्वारा स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 851 को चेलेन्ज किया गया है। उक्त म्यूटेशन को स्वीकृत हुये 07 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। अपीलाण्ट स्वयं अपने को इसी परिवार की सदस्य बता रही है तथा अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टगण संख्या 1, 2, 5 सगे भाई–बहिन है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 अपीलाण्ट के भाई बाबूखां की पत्नी व पुत्र है, जिससे यह साबित है कि उक्त म्यूटेशन की जानकारी म्यूटेशन स्वीकृत होने के रोज से अपीलाण्ट व उसके पुत्र को रही है। अपीलाण्ट द्वारा अपने पुत्र की सिखावट में आकर पारिवारिक रंजीश के कारण 07 वर्ष पश्चात् उक्त म्यूटेशन को अपास्त हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीज के हैं। अपीलाण्ट उक्त म्यूटेशन अपील के जरिये अपने हक में निष्पादित विधि विरूद्ध फर्जी बक्सीसनामे के आधार पर हक अधिकार तय करवाना चाहती है, जिसमें किसी प्रकार के हक अधिकार कानूनन तय नही किये जा सकते है। जिससे अपील अपीलाण्ट की खारिज की जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, धारा 05 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र, जबाब धारा 05 मयाद अधिनियम व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्यन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः धारा 05 म्याद अधिनियम में प्रस्तुत देरीना कारण युक्ति युक्त होने से देरीना अवधि को कण्डोन (क्षम्य) किया जाता है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा बक्सीसनामा दिनांक 30.11.2005 पेश किया गया जो कि उप–पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में दिनांक 30.11.2005 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 273, पृष्ठ संख्या 65, क्रम संख्या 2005001658 पर पंजीबद्ध किया गया। जिसमे हुसैन खां द्वारा मौजा गुडाकंला के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.2000 हैक्टर कृषि भूमि अपीलाण्ट की माता मरमी पुत्री हसैन खां पत्नी सुबान खां के पक्ष में निष्पादीत किया गया है। तदोपरान्त भी सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकंला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 08.04.2013 स्वीकृत किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम खसरा संख्या 144 रकबा 0.2000 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत गुडाकंला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 851 स्वीकृत दिनांक 08.04.2013 बिना विधिक जांच किए भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली

—: आदेश :—

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। ग्राम ग्राम गुडाकंला के खसरा नम्बर 144 रकबा 0.2000 हैक्टर की भूमि के संबंध में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 851 दिनांक 08.04.2013 अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरीत होने से होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पूर्व स्थिति को बहाल करते हुऐ उक्त कृषि भूमि के ख0 नं0 144 में अपीलाण्ट की माता के नाम निष्पादित बक्सीसनामा दिनांक 25.11.2005 जो दिनांक 30.11.2005 को पंजीबद्ध है, के अनुसार पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 11/12/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली